न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 29/2021
प्रविष्टि दिनांक 15-3-2021

कालू पुत्र रामनारायण गोस्वामी निवासी ग्राम-सोप तहसील उनियारा जिला टोंक राज0
—अपीलाण्ट

बनाम

नायब तहसीलदार सोप जिला- टोक
—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार सोप दिनांक 19-2-2021 मिसल नम्बर 2841/2021

उपस्थिति : (1) श्री जितेन्द्र कुमार जैन अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम,राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांक 22-9-2021

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप ने अपने निर्णय दिनांक 19-2-2021 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 352 रकबा 0.25 है0,वाके ग्राम शोप में गैर मुमकिन नाले पर अतिकमण कर चने की फसल काश्त करने का दोषी मानते हुए भूमि से बेदखल करने 100/रूपये की पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट को नायब तहसीलदार सोप द्वारा केवल पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही करते हुए बिना तथ्यों की जॉच किये एंव अपीलान्ट को साक्ष्य सफाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया है जो विधि विधान एंव तथ्यों के वितरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट ने वर्तमान में किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी भूमि पर अकिमण नहीं किया है, अपीलान्ट के विरूद्ध गलत रूप से निर्णय पारित किया गया है। किसी रंजिश के कारण अपीलान्ट के विरूद्ध झूठी शिकायत करते हुए उक्त गलत रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर दी और अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सच्चाई की जॉच किये कार्यवाही करते हुए गलत दण्डादेश पारित किया है। अपीलान्ट को निर्णय से पूर्व सुने बिना एंव साक्ष्य प्रस्तुत पेश करने का अवसर प्रदान

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2022.02.01 11:47:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

किये बिना निर्णय पारित किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है एंव अपीलान्ट ने स्वंय विवादित भूमि पर अपना कब्जा होना स्वीकारा है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 352 रकबा 0.25 है0,वाके ग्राम शोप गैर मुमकिन नाले की भूमि है जिस पर अपीलान्ट ने अतिक्रमण कर चने की फसल काश्त की है। अपीलान्ट ने गैर मुमकिन नाले को अवरूद्व किया है। अपीलान्ट ने इससे पूर्व भी सम्वत 2076 में फसल खरीफ के दोरान उक्त विवादित भूमि पर अतिक्रमण कर उड़द की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 717/189 निर्णय दिनांक 14–10–2019 से बेदखल किया गया था। अपीलान्ट गैर मुमकिन नाले की भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है एंव बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर विवादित भूमि पर अपना कब्जा होना स्वीकारा है। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की गैर मुमकिन नाले की भूमि खसरा नम्बर 352 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम शोप तह0 उनियारा पर चने की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्ध है। अपीलान्ट ने इससे पूर्व भी सम्वत 2076 में फसल खरीफ के दोरान उक्त विवादित भूमि पर अतिक्रमण कर उड़द की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 717/189 निर्णय दिनांक 14–10–2019 से बेदखल किया गया था। अपीलान्ट गैर मुमकिन नाले की भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है एंव बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार शोप का निर्णय दिनांक 19–2–2021 यथावत रखा जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22–9–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोक

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2022.02.01 11:47:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner